

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफएसएसए/आदेश/2019/723

दिनांक : 21/08/2019

—: आदेश :-

निदेशालयके पूर्व आदेश क्रमांकएच/एफएसएसए/आदेश/2013/114 दिनांक 06.02.2013 की निरन्तरता में, खाद्य संरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 (3) में प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुये, राज्य के सभी संभाग के संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जोन) राजस्थान तथा केन्द्रीय दल (खाद्य सुरक्षा) मुख्यालय के, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्वरटैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देने हेतु सम्बन्धित जिले (जिस क्षेत्र/जिले से खाद्य नमूना लिया गया है), के अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को, तथा उक्त अधिनियम की धारा 30(2)(e) के अनुसार, अनसेफ प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देने हेतु सम्बन्धित जिले (जिस क्षेत्र/जिले से खाद्य नमूना लिया गया है), के सभाग के संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जोन) राजस्थान, को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 21/08/2019

क्रमांक : एफएसएसए/2019/723

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3/2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) मुख्यालय।
6. समस्त न्यायानिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
9. समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. प्रभारी केन्द्रीय दल, मुख्यालय।
11. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान।
12. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति विभाग के वेबसाईड पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई-मेल करने का श्रम करें।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।